संख्या-54/2023/2791/58-2023-1769059

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-119-03-0301-विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों व अन्य मशीन का क्रय की योजनान्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रु0-20.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-98/बजट/2023-24, दिनांक 05.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0301-विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों व अन्य मशीन का क्रय की योजना के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में रु0-20.00 लाख (रूपया बीस लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(4) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(6) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(9) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 4401001190301 विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों व अन्य मशीन का क्रय मानक माद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधारित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 54 /2023/2791(1)/58-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://s